भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2894
दिनांक 190.8 2025.को उत्तर दिए जाने के लिए

देश में औद्योगिक पार्कों की स्थापना का पर्यावरणीय प्रभाव

2894. श्री नीरज डांगी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक कितने रासायनिक औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन औद्योगिक पार्कों की स्थापना करते समय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्टों का पालन किया गया है;

(ग) क्या नए रासायनिक औद्योगिक पार्कों और उभरते विनिर्माण कॉरिडोर की स्थापना के कारण आस-पास के क्षेत्रों में वायु, जल या मृदा प्रदूषण से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हाँ, तो प्रदूषण संबंधी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या भविष्य में ऐसे और औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) देश में निम्नलिखित दो प्रकार के रासायनिक औद्योगिक पार्क स्थापित किए हैं:

पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर): भारत सरकार ने निवेश आकर्षित करने और रोज़गार सृजन के लिए पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) नीति अधिसूचित की है। वर्तमान में, इस नीति के संदर्भ में आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम), गुजरात (दाहेज) और ओडिशा (पारादीप) राज्यों में ऐसे तीन पीसीपीआईआर अधिसूचित किए गए हैं।

प्लास्टिक पार्क: भारत सरकार ने आवश्यक अत्याधुनिक अवसंरचना और सक्षम साझा सुविधाओं से युक्त आवश्यकता-आधारित प्लास्टिक पार्क स्थापित किए हैं। इस पहल के तहत, सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में दस प्लास्टिक पार्कों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**राज्य / स्थान**	**पर्यावरणीय प्रभाव आकलन स्थिति**
1.	पारादीप, ओडिशा	पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया गया

2.	तिनसुकिया, असम	पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया गया
3.	तिरुवल्लूर, तमिलनाडु	पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया गया
4.	देवघर, झारखंड	पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया गया
5.	सितारगंज, उत्तराखंड	पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया गया
6.	बिलौआ, मध्य प्रदेश	पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार आवश्यक नहीं है।
7.	तमोट, मध्य प्रदेश	पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार आवश्यक नहीं है।
8.	सरोरा, रायपुर, छत्तीसगढ़	पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार आवश्यक नहीं है।
9.	गंजीमट्ट, कर्नाटक	पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार आवश्यक नहीं है।
10.	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार आवश्यक नहीं है।

(ख) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 में परियोजना के पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों के व्यापक आकलन हेतु एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है; जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने और लोक परामर्श करने का प्रावधान है।

विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, जिसमें क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, विस्तृत जाँच और विचार-विमर्श के बाद, रासायनिक औद्योगिक पार्कों सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय क्लियरेंस की सिफ़ारिश करती है। यह समिति परियोजनाओं से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपायों और पर्यावरण प्रबंधन का सुझाव देती है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट के निष्कर्षों सहित इन सिफारिशों पर विचार करने के बाद और आवश्यक शर्तों को शामिल करते हुए पर्यावरणीय क्लियरेंस जारी की जाती है।

पर्यावरण क्लियरेंस (ईसी) के एक भाग के रूप में, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अनुसार, जहां भी आवश्यक हो, सभी तीन पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र और प्लास्टिक पार्कों में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया गया है।

(ग) से (ङ) जहाँ कहीं भी इन पार्कों की स्थापना के कारण आस-पास के क्षेत्रों में वायु, जल या मृदा प्रदूषण से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इनका समय-समय पर समाधान किया गया है।

पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र में प्रदूषण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए, औद्योगिक पार्कों में खतरनाक अपशिष्टों के उपचार के लिए सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) और इंसीनेरेटर्स की स्थापना, खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाएं और सीईटीपी से उपचारित अपशिष्ट के निपटान के लिए गहरे समुद्र में डिस्चार्ज सुविधाएं आदि जैसे निवारक उपाय किए जा रहे हैं।

*****